न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00214 दायरा दिनांक : 06.07.2018

उनवान

राजेश कुमार शारदा पुत्र श्री गोपाल लाल शारदा, उम्र 44 वर्ष, जाति माहेश्वरी महाजन, निवासी झालरापाटन, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

नगर पालिका बोर्ड झालरापाटन जर्ये श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड झालरापाटन

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बच्चू लाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सोम्य परिहार अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या 243/प्रार्थना पत्र/2016 निर्णय दिनांक 22.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आर्डर 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 जा0 दी0 पेश किया और यह कथन किया कि खाते व कब्जे की आराजी खतौनी संख्या नया 748 पुरानी 706 खसरा नम्बर 1022 रकबा 10 बिस्वा ग्राम झालरापाटन शहर के बीच नीमबारी गेट के पास झालरापाटन में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनन व रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेज के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया है कि अपीलांट का केस प्रथम दृष्टया है तथा उसके खातेदारी की भूमि पर नाजायज कब्जा कर निर्माण किया गया तो अपीलांट को अपूर्णीयक्षति होगी तथा सुविधाओं का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। इन तीनों बिन्दुओं पर अपना निष्कर्ष निकाले बिना प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश कानून व न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया है कि पूर्व में किये समझौते के अनुसार अपीलांट ने 20X40 की भूमि खाली छोड़ रखी है जिस पर रेस्पोडेंट ने निर्माण भी कर लिया है अब इस भूमि से ज्यादा भूमि पर नाजायज कब्जा कर निर्माण करना चाहता है, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन आधारों पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है वे न तो उचित है, न कानून सम्मत है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड का आदेश दिनांक 22.03.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेंट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह अपीलांट के खाते कब्जे की भूमि पर बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेंमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

(ममता कुमारी तिवारी) 31/7/2024
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा एक वाद सं. 430/2004 अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188, 183 आर.टी.एक्ट बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था जिसका निस्तारण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.12.2008 में अपीलार्थी को 20X40 वर्गफीट भूमि प्रतिवादी नगर पालिका, झालरापाटन को बिना किसी प्रतिफल के उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे तथा प्रतिवादी (नगर पालिका झालरापाटन) को उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था कि वह शहर झालरापाटन की वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1022 में हो रहे निर्माण को हटाने से वादी को ना रोके तथा भविष्य में भी वादग्रस्त आराजी में बेजा मदाखलत व मजाहमत न करें, न ही ऐसा अन्य से करावे। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले की पालना ना होने के संबंध में ना तो अधीनस्थ न्यायालय में अवमानना का वाद प्रस्तुत किया, ना ही ऐसे ठोस सबूत प्रस्तुत किये जिससे यह जाहिर हो कि अप्रार्थी द्वारा उसकी निजी खातेदारी की भूमि में कोई हस्ताक्षेप किया जा रहा हो।

अपीलांट द्वारा समान आराजी पर पूर्व में दायर वाद/प्रार्थना पत्र में अपीलांट के हक में फैसला हो चुका है। अतः समान पक्षकारों के मध्य समान वाद हेतुक व समान आराजी का नया वाद पेश नहीं किया जा सकता। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/7/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा